Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

"सहकार से समृद्धि"

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारिता से संबंधित प्रमुख घोषणाएं:

क. <u>योजनाएं</u>

- बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना ताकि किसान अपनी उपज का समुचित भंडारण कर सके और उचित समय पर उसकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके ।
- अगले पांच वर्षों में सरकार द्वारा देश की सभी पंचायतों व गांवों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी ।
- पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उपविधियां बनाई गई हैं ।

- सहकारी समितियों की देशव्यापी मैपिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाया जा रहा है ।
- 2,516 करोड़ रुपए की लागत से 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य आरंभ किया गया है ।

ख. आयकर लाभ

- 31 मार्च, 2024 तक मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करने वाली नयी सहकारी समितियों को 15% के कर दर का फायदा दिया जाएगा (जो कि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अनुरूप है) । (आयकर अधिनियम की धारा 115 BAB)
- पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PACRDBs) में नकद जमा व उनके द्वारा नकद ऋण की उच्चतर सीमा को 2 लाख रुपए प्रति सदस्य किया गया । (आयकर अधिनियम की धारा 269SS और 269T)
- सहकारी समितियों को नकद निकासी के लिए TDS में 3 करोड़ की उच्चतर सीमा की गई । (आयकर अधिनियम की धारा 194 N)

ग. चीनी सहकारी मिलों को राहत

घ. चीनी सहकारी समितियों के लिए, निर्धारण वर्ष 2016-17 के पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतान के दावों को 'व्यय' माना जाएगा । इससे चीनी सहकारी समितियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी ।

******